(विज्ञापन सं. 23/2016)
संघ लोक सेवा आयोग

वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है ।

रिक्तियों का विवरण

1. (रिक्ति सं0 16122301124) तेरह विशेषज्ञ ग्रेड-III, सहायक प्रोफेसर (अंत:स्राविकी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अ.जा.-02, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-04 तथा अनारक्षित-06) । पद, अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात–दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बी.एल.) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या मांसपेशीय कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सामर्थ्य (एम.डब्ल्यू.) के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 6600/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. रू. 49,950/- लगभग) + प्रै.नि.भ. यथा स्वीकार्य, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, ग्रुप "क", अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग । **आयु*** : 40 वर्ष । **अ. यो. : (क) शैक्षिक** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102)* की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंशिएट योग्यताओं को छोड़कर) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा (13) की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) संबंधित विशेषज्ञता या उच्च विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात डाक्टर आफ मेडिसिन (अंत:स्राविकी) या डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान) या डाक्टर आफ मेडिसिन (बालरोग) तथा अंत:स्राविकी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण । **टिप्पणी - I** : डी.एन.बी. योग्यता को (एम.डी./एम.एस.) या डी.एम. / एम.सी.एच. के साथ समकक्षता के लिए डी.एन.बी. के योग्यताधारक उम्मीदवारों को एन.बी.ई. से अपनी अर्हता का सत्यापन कराना होगा कि क्या उक्त योग्यता दिनांक 11/06/2012 के गजट अधिसूचना सं. एम.सी.आई. 12(2)2010-चिकित्सा विविध में दी गई अपेक्षाओं के

अनुसार है और एन.बी.ई. से इस आशय का सत्यापन प्रस्तुत करना होगा । **टिप्पणी -II** : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल किया गया हो या बाहर कर दिया गया हो जिसे उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो या वापस ले ली गई हो, तदनुसार अनुसूची-VI में शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा । **टिप्पणी-III** : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर मेडिकल योग्यताएं अनुसूची-VI के उद्देश्य के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में सम्मिलित होनी चाहिए । **टिप्पणी – IV** : पांच वर्ष की अवधि वाली डाक्ट्रेट आफ मेडिसिन (डी.एम.) / मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) योग्यता धारकों के मामले में, उक्त डाक्ट्रेट आफ मेडिसिन (डी.एम.)/मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में प्रदान की गई सीनियर पोस्टग्रेजुएट रेजिडेन्सी की अवधि को अध्यापन पदों के लिए अनुभव की अपेक्षा के लिए गिना जाएगा । **ख : अनुभव** : प्रथम पोस्टग्रेजुएट डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित विशेषज्ञता अथवा उच्च विशेषज्ञता में वरिष्ठ रेजीडेंट या ट्यूटर या डिमांसट्रेटर या रजिस्ट्रार में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव । **टिप्पणी** : एम.डी. (आयुर्विज्ञान) / एम.डी. (बालरोग) के बाद अंत:स्रावि‍की विभाग में वरिष्ठ रेजीडेंट या ट्यूटर या रजिस्ट्रार या डिमांसट्रेटर के रूप में अध्यापन अनुभव पर अंत:स्रावि‍की में विशेष प्रशिक्षण के रूप में विचार किया जाएगा । इसलिए वे उम्मीदवार जो एम.डी. (आयुर्विज्ञान) / एम.डी. (बालरोग) योग्यताधारक हैं उन्हें दो वर्ष का अनुभव अंत:स्रावि‍की विभाग में तथा शेष एक वर्ष का अनुभव आयुर्विज्ञान या बालरोग विभाग में होना चाहिए । अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन से जी डी एम ओ / मेडिकल आफिसर जैसे अन्य पदों पर प्राप्त अध्यापन अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा । **कार्य** : (i) अवर स्नातक / स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अनुदेश देना । (ii) उक्त विशेषज्ञता में अनुसंधान कार्य का संचालन एवं मार्गदर्शन करना । (iii) उक्त विशेषज्ञता में रोगियों की देखभाल करना । (iv) समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना । **मुख्यालय** : भारत में किसी भी स्थान पर । **टिप्पणी** : (i) परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस चाहे जो भी हो, करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (ii) चुने गए उम्मीदवार को, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता

है, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को (क) सेवा में नियुक्ति या सेवा ग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा (ख) उसे सामान्यतया 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

2. (रिक्ति सं0 16122302124) पन्द्रह विशेषज्ञ ग्रेड-III, सहायक प्रोफेसर (सूक्ष्म जीवविज्ञान), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-07 तथा अनारक्षित-06) । पद, अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात–दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बी.एल.) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या मांसपेशीय कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सामर्थ्य (एम.डब्ल्यू.) के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 6600/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. रू. 49,950/- लगभग) + प्रै.नि.भ. यथा स्वीकार्य, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, ग्रुप "क", अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग । **आयु*** : 40 वर्ष । **<u>अ. यो. : (क) शैक्षिक</u>** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102)* की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंशिएट योग्यताओं को छोड़कर) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा (13) की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची-VI के खण्ड क में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता या उच्च विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात डाक्टर आफ मेडिसिन (जीवाणु विज्ञान) अथवा डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान) या एम.एससी. (चिकित्सा जीवाणु विज्ञान) सहित एम.बी.बी.एस. / एम.एससी. (चिकित्सा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान) या डी.फिल. (चिकित्सा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान) या डी.एससी. (चिकित्सा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान) सहित एम.एससी. (चिकित्सा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान) । **<u>टिप्पणी - I</u>** : डी.एन.बी. योग्यता को (एम.डी./एम.एस.) या डी.एम. / एम.सी.एच. के साथ समकक्षता के लिए डी.एन.बी. के योग्यताधारक उम्मीदवारों को एन.बी.ई. से अपनी अर्हता का सत्यापन कराना होगा कि क्या उक्त योग्यता दिनांक 11/06/2012 के गजट अधिसूचना सं. एम.सी.आई. 12(2)2010-चिकित्सा विविध में दी गई अपेक्षाओं के

अनुसार है और एन.बी.ई. से इस आशय का सत्यापन प्रस्तुत करना होगा । **टिप्पणी -II** : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल किया गया हो या बाहर कर दिया गया हो जिसे उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो या वापस ले ली गई हो, तदनुसार अनुसूची-VI में शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा । **टिप्पणी-III** : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर मेडिकल योग्यताएं अनुसूची-VI के उद्देश्य के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में सम्मिलित होनी चाहिए । **टिप्पणी – IV** : पांच वर्ष की अवधि वाली डाक्ट्रेट आफ मेडिसिन (डी.एम.) / मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) योग्यता धारकों के मामले में, उक्त डाक्ट्रेट आफ मेडिसिन (डी.एम.)/मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में प्रदान की गई सीनियर पोस्टग्रेजुएट रेजिडेन्सी की अवधि को अध्यापन पदों के लिए अनुभव की अपेक्षा के लिए गिना जाएगा । **ख : अनुभव** : प्रथम पोस्टग्रेजुएट डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित विशेषज्ञता अथवा उच्च विशेषज्ञता में वरिष्ठ रेजीडेंट या ट्यूटर या डिमांसट्रेटर या रजिस्ट्रार में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव । **टिप्पणी** : अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन से जी डी एम ओ / मेडिकल आफिसर जैसे अन्य पदों पर प्राप्त अध्यापन अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा । **कार्य** : (i) अवर स्नातक / स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अनुदेश देना । (ii) उक्त विशेषज्ञता में अनुसंधान कार्य का संचालन एवं मार्गदर्शन करना । (iii) उक्त विशेषज्ञता में रोगियों की देखभाल करना । (iv) समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना । **मुख्यालय** : भारत में किसी भी स्थान पर । **टिप्पणी** :: (i) परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस चाहे जो भी हो, करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (ii) चुने गए उम्मीदवार को, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को (क) सेवा में नियुक्ति या सेवा ग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा (ख) उसे सामान्यतया 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

3. (रिक्ति सं0 16122303124) ग्यारह विशेषज्ञ ग्रेड-III, सहायक प्रोफेसर (मूत्र विज्ञान), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अ.जा.-02, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-02 तथा अनारक्षित-06) । पद, अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात– दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बी.एल.) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या मांसपेशीय कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सामर्थ्य (एम.डब्ल्यू.) के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 6600/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. रू. 49,950/- लगभग) + प्रै.नि.भ. यथा स्वीकार्य, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, ग्रुप "क", अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग । **आयु*** : 40 वर्ष । **अ. यो. : (क) शैक्षिक** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102)* की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंशिएट योग्यताओं को छोड़कर) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा (13) की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची-VI के खण्ड क में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता या उच्च विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात मेजिस्टर चिरूरगिए (मूत्र विज्ञान) । **टिप्पणी -** I : डी.एन.बी. योग्यता को (एम.डी./एम.एस.) या डी.एम. / एम.सी.एच. के साथ समकक्षता के लिए डी.एन.बी. के योग्यताधारक उम्मीदवारों को एन.बी.ई. से अपनी अर्हता का सत्यापन कराना होगा कि क्या उक्त योग्यता दिनांक 11/06/2012 के गजट अधिसूचना सं. एम.सी.आई. 12(2)2010-चिकित्सा विविध में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार है और एन.बी.ई. से इस आशय का सत्यापन प्रस्तुत करना होगा । **टिप्पणी -**II : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल किया गया हो या बाहर कर दिया गया हो जिसे उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो या वापस ले ली गई हो, तदनुसार अनुसूची-VI में शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा । **टिप्पणी-**III : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर मेडिकल योग्यताएं अनुसूची-VI के उद्देश्य के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में सम्मिलित होनी चाहिए । **टिप्पणी – IV** : पांच वर्ष की अवधि वाली डाक्ट्रेट आफ मेडिसिन (डी.एम.) / मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) योग्यता धारकों के मामले में, उक्त

डाक्ट्रेट आफ मेडिसिन (डी.एम.)/मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में प्रदान की गई सीनियर पोस्टग्रेजुएट रेजिडेन्सी की अवधि को अध्यापन पदों के लिए अनुभव की अपेक्षा के लिए गिना जाएगा । **ख : अनुभव** : प्रथम पोस्टग्रेजुएट डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित विशेषज्ञता अथवा उच्च विशेषज्ञता में वरिष्ठ रेजीडेंट या ट्यूटर या डिमांसट्रेटर या रजिस्ट्रार में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव । **टिप्पणी** : अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन से जी डी एम ओ / मेडिकल आफिसर जैसे अन्य पदों पर प्राप्त अध्यापन अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा । **कार्य** : (i) अवर स्नातक / स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अनुदेश देना । (ii) उक्त विशेषज्ञता में अनुसंधान कार्य का संचालन एवं मार्गदर्शन करना । (iii) उक्त विशेषज्ञता में रोगियों की देखभाल करना । (iv) समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना । **मुख्यालय** : भारत में किसी भी स्थान पर । **टिप्पणी** : (i) परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस चाहे जो भी हो, करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (ii) चुने गए उम्मीदवार को, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को (क) सेवा में नियुक्ति या सेवा ग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा (ख) उसे सामान्यतया 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

4. (रिक्ति सं0 16122304124) एक विशेषज्ञ ग्रेड-III, सहायक प्रोफेसर (क्षय रोग तथा वक्ष रोग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अ.पि.व.-01) । पद, अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात–दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बी.एल.) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या मांसपेशीय कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सामर्थ्य (एम.डब्ल्यू.) के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 6600/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. रू. 49,950/- लगभग) + प्रै.नि.भ. यथा स्वीकार्य, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, ग्रुप "क", अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग । **आयु*** : 43 वर्ष । **अ. यो. : (क) शैक्षिक** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102)* की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित

(लाइसेंशिएट योग्यताओं को छोड़कर) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा (13) की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची-VI के खण्ड क में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता या उच्च विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात डाक्टर आफ मेडिसिन (क्षय रोग) या डाक्टर आफ मेडिसिन (क्षय रोग तथा श्वसन रोग) या डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान) तथा क्षय रोग में डिप्लामा या क्षय रोग तथा वक्ष रोग में डिप्लोमा या डाक्टर आफ मेडिसिन (क्षय रोग तथा वक्ष रोग) । **टिप्पणी-** I : डी.एन.बी. योग्यता को (एम.डी./एम.एस.) या डी.एम. / एम.सी.एच. के साथ समकक्षता के लिए डी.एन.बी. के योग्यताधारक उम्मीदवारों को एन.बी.ई. से अपनी अर्हता का सत्यापन कराना होगा कि क्या उक्त योग्यता दिनांक 11/06/2012 के गजट अधिसूचना सं. एम.सी.आई. 12(2)2010-चिकित्सा विविध में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार है और एन.बी.ई. से इस आशय का सत्यापन प्रस्तुत करना होगा । **टिप्पणी -**II : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल

किया गया हो या बाहर कर दिया गया हो जिसे उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो या वापस ले ली गई हो, तदनुसार अनुसूची-VI में शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा । **टिप्पणी-**III : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत स्नातकोत्तर मेडिकल योग्यताएं अनुसूची-VI के उद्देश्य के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में सम्मिलित होनी चाहिए । **टिप्पणी – IV** : पांच वर्ष की अवधि वाली डाक्ट्रेट आफ मेडिसिन (डी.एम.) / मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) योग्यता धारकों के मामले में, उक्त डाक्ट्रेट आफ मेडिसिन (डी.एम.)/मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) के अंतिम भाग में प्रदान की गई सीनियर पोस्टग्रेजुएट रेजिडेन्सी की अवधि को अध्यापन पदों के लिए अनुभव की अपेक्षा के लिए गिना जाएगा । **ख : अनुभव** : प्रथम पोस्टग्रेजुएट डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित विशेषज्ञता अथवा उच्च विशेषज्ञता में वरिष्ठ रेजीडेंट या ट्यूटर या

डिमांसट्रेटर या रजिस्ट्रार में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव । **टिप्पणी** : अध्यापन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के प्रयोजन से जी डी एम ओ / मेडिकल आफिसर जैसे अन्य पदों पर प्राप्त अध्यापन अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा । **कार्य** : (i) अवर स्नातक / स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अनुदेश देना । (ii) उक्त विशेषज्ञता में अनुसंधान कार्य का संचालन एवं मार्गदर्शन करना । (iii) उक्त विशेषज्ञता में रोगियों की देखभाल करना । (iv) समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना । **मुख्यालय** : भारत में किसी भी स्थान पर । **टिप्पणी** : (i) परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस चाहे जो भी हो करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (ii) चुने गए उम्मीदवार को, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को (क) सेवा में नियुक्ति या सेवा ग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा (ख) उसे सामान्यतया 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

5. (रिक्ति सं0 16122305624) छः केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी / तकनीकी (डीसीआईओ / तकनीकी), आसूचना ब्यूरो (आई.बी.), गृह मंत्रालय (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-01 तथा अनारक्षित-03) । पद स्थायी हैं । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 5400/- रू. (ग्रेड वेतन) (+ स्वीकार्य केन्द्रीय सरकारी भत्ता) (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार संशोधनाधीन) सामान्य केन्द्रीय सेवा - ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु*** : 35 वर्ष । **अ. यो. : (क) शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार या इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूर संचार या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्पयूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या साफ्टवेयर रइंजीनियरी में (बी.ई या बी.टेक.) या बी.एससी. इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार इंजीनियरी में इंजीनियरी संस्थान में एशोसिएट सदस्यता (ए.एम.आई.ई.) या इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी में इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूर संचार संस्थान की (ए.एम.आई.ई.टी.ई.) की एसोशिएट मैम्बरशिप द्वारा प्रदत्त

ग्रेजुएटशिप या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी या दूर संचार सहित भौतिकी में मास्टर डिग्री या भौतिकी में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री सहित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री (एम.सी.ए.) या एम.एससी. (सूचना प्रौद्योगिकी) या एम.एससी. (कम्प्यूटर विज्ञान) या एम.एससी. (साफ्टवेयर) । **कार्य** : (1) संचार नेटवर्क के संचालन तथा रखरखाव संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करना । (2) साईबर सुरक्षा / साईबर न्यायालयी विज्ञान से संबंधित उपकरणों का अनुरक्षण तथा संचालन । (3) प्रमुखत: इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी से संबंधित शोध तथा विकास संबंधी कार्य करना । (4) सौंपे गए संचालन कार्यों का दायित्व संभालना तथा पर्यवेक्षण करना । (5) संचार उपकरणों के पर्यवेक्षण, रखरखाव के प्रति उत्तरदायी होना । (6) श्रव्य, दृश्य तथा सी.सी.टी.वी. उपकरणों के संचालन तथा रखरखाव का पर्यवेक्षण करना । **मुख्यालय** : नई दिल्ली, पद अखिल भारतीय स्तर के दायित्व ।

6. (रिक्ति सं0 16122306224) छ: सहायक विधायी अधिवक्ता (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) विधायी विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय (अ.ज.जा.-02, अ.पि.व.-01 तथा अनारक्षित-03) । पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात-दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बी.एल.) / एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओ.ए.) या एक पैर और एक हाथ प्रभावित (ओ.एल.ए.) या दृष्टिहीन या कमज़ोर दृष्टि यथा दृष्टिहीन (बी.) या आंशिक दृष्टिहीन (पी.बी.) के लिए उपयुक्त है । पद स्थायी हैं । **वेतनमान** : 15,600-39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6600/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. रू. 49,950/- लगभग) + यात्रा भत्ता तथा मकान किराया भत्ता यथा स्वीकार्य, ग्रुप "क" राजपत्रित, भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV । **आयु*** : 40 वर्ष । **अ0 यो0 : क : शैक्षिक :** (i) ग्रेड-IV में डयूटी पद पर किसी व्यक्ति की सीधी भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री न रखता हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित हो या निगमित हो या कोई अन्य उच्च शिक्षा संस्थान जिसे केन्द्र सरकार द्वारा मानद विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो या कोई अन्य संस्थान या विदेशी

विश्वविद्यालय जो केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो, से विधि में स्नातक डिग्री रखता हो और जब तक कि वह कम से कम 7 वर्षों तक किसी राज्य में न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या कम से कम 7 वर्षों की अवधि तक किसी राज्य के विधि विभाग में किसी उच्च पद पर रहा हो या केन्द्र / राज्य सरकार का ऐसा कर्मचारी हो जो विधिक कार्यों में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखता हो या विधि में मास्टर डिग्री रखता हो और विधि अध्यापन में या शोध कार्यों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखता हो या कम से कम 30 वर्ष की आयु वाला अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी हो । **नोट-** I : विधायी मसौदा लेखन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी । यदि ऐसा पद विधायी विभाग से संबंधित है । ऐसी वरीयता साक्षात्कार के समय दी जानी चाहिए । **नोट-** II : उस अवधि की गणना करते समय, जिसके दौरान कोई व्यक्ति राज्य न्यायिक सेवा में किसी पद पर रहा हो या केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत विधिक विभाग में किसी पद पर रहा हो, वह अवधि भी शामिल की जाएगी, जिसके दौरान वह व्यक्ति उपर्युक्त में से किसी भी पद पर रहा/रही हो या वह अवधि, जिसके दौरान वह विधिक व्यवसायी रहा/रही हो । **नोट-** III : उस अवधि की गणना करते समय, जिसके दौरान कोई व्यक्ति अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी रहा हो वह अवधि भी शामिल की जाएगी, जिसके दौरान वह राज्य न्यायिक सेवा में किसी पद पर रहा हो या राज्य के विधि विभाग में किसी उच्च पद पर रहा हो या केन्द्र सरकार का ऐसा कर्मचारी हो जो विधिक कार्यों में अनुभव रखता हो । **नोट - IV** : अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी से आशय ऐसे अधिवक्ता या प्लीडर से है जिसने इस हैसियत से कम से कम 7 वर्ष तक प्रेक्टिस की हो या बम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का ऐसा अटार्नी हो जिसने इस हैसियत से कम से कम 5 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या ऐसे अटार्नी तथा अधिवक्ता की हैसियत से कुल मिलाकर कम से कम 5 वर्ष तक प्रेक्टिस की हो । **नोट - V** : किसी राज्य के विधि विभाग में उच्च पद से आशय है कि वह राज्य सरकार में किसी ऐसे पद पर रहा हो जो लिपिकीय न हो और जिस पर नियुक्ति के लिए विधि में डिग्री शैक्षिक योग्यता के रूप में अपेक्षित हो । **(ख) : अनुभव** : उपर्युक्त कालम क में दर्शाए गए अनुसार । **वा.यो**. : ग्रेड-IV में डयूटी पद पर किसी व्यक्ति की सीधी भर्ती करते समय विधायी मसौदा लेखन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी । यदि ऐसा पद विधायी विभाग से संबंधित है । ऐसी वरीयता साक्षात्कार के समय

दी जानी चाहिए । **<u>कार्य</u>** : विधायी मसौदा लेखन, सांविधिक नियमों तथा आदेशों आदि की संवीक्षा । **<u>मुख्यालय</u>** : नई दिल्ली ।

7. (रिक्ति सं0 16122307224) एक सहायक विधायी अधिवक्ता (बंगाली), राजभाषा स्कंध विधायी विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय (अनारक्षित-01) । पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात-दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बी.एल.) / एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओ.ए.) या एक पैर और एक हाथ प्रभावित (ओ.एल.ए.) या दृष्टिहीन या कमज़ोर दृष्टि यथा दृष्टिहीन (बी.) या आंशिक दृष्टिहीन (पी.बी.) के लिए उपयुक्त है । पद स्थायी है । **वेतनमान** : 15,600-39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6600/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. रू. 49,950/- लगभग) + यात्रा भत्ता तथा मकान किराया भत्ता यथा स्वीकार्य, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु*** : 40 वर्ष । **<u>अ0 यो0 : शैक्षिक</u> : <u>क</u> :** (i) कोई विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित किया गया हो, या उच्च शिक्षा संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है या किसी अन्य संस्थान या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री (एल.एल.एम.) तथा (ii) 5 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या किसी राज्य के विधि विभाग में 5 वर्षों तक किसी पद पर रहा हो या केन्द्र सरकार का ऐसा कर्मचारी हो जो विधिक कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो या कोई **अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी*** हो जिसने इस रूप में 5 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में विधि अध्यापन में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार में सांविधियों, सांविधिक नियमों तथा आदेशों को **बंगाली भाषा** में अनुवाद करने का 5 वर्ष का अनुभव रखता हो या केन्द्र या राज्य सरकार में विधियों के मसौदा लेखन में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो **अथवा <u>ख</u> :** (i) कोई विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम

के अंतर्गत स्थापित या निगमित किया गया हो या उच्च शिक्षा संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा जिसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया हे या किसी अन्य संस्थान या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री (एल.एल.बी.) तथा (ii) 7 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या किसी राज्य के विधि विभाग में 7 वर्षों तक किसी पद पर रहा हो या केन्द्र सरकार का ऐसा कर्मचारी हो जो विधिक कार्यों में 7 वर्ष का अनुभव रखता हो या कोई **अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी*** हो जिसने इस रूप में 7 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में विधि में 7 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार में विधियों, सांविधिक नियमों तथा आदेशों को **बंगाली भाषा** में अनुवाद करने का 7 वर्ष का अनुभव रखता हो या केन्द्र या राज्य सरकार में विधियों के मसौदा लेखन में 7 वर्ष का अनुभव रखता हो । (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से सैकेंडरी स्कूल परीक्षा या कोई अन्य उच्च परीक्षा **बंगाली** भाषा के माध्यम से पास की हो या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्कूल परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा में बंगाली भाषा एक विषय रही हो । **<u>नोट*</u>** : **<u>*"अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी</u>**" की अभिव्यक्ति जिसका प्रयोग राजभाषा स्कंध में सहायक विधायी अधिवक्ता (क्षेत्रीय भाषाएं) के पद पर भर्ती नियमों के लिए किया गया है, से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो एक अधिवक्ता या प्लीडर हो और मास्टर डिग्री धारी (एल.एल.एम.) होने की स्थिति में इस हैसियत से 5 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या विधि में डिग्री धारी (एल.एल.बी.) होने की स्थिति में 7 वर्ष तक इस हैसियत में प्रैक्टिस की हो । **<u>वा.यो</u>**. : (i) केन्द्र या राज्य सरकार में **बंगाली भाषा** में विधायी मसौदा लेखन में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो । (ii) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान जिसे केन्द्र सरकार के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या किसी अन्य संस्थान या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो से, स्नातक डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर **बंगाली भाषा** एक

विषय के रूप में रही हो या बंगाली भाषा के माध्यम से स्नातक डिग्री प्राप्त की हो । **कार्य** : केन्द्रीय विधियों, सांविधिक नियमों तथा नियमावलियों आदि का बंगाली भाषा में अधिकृत अनुवाद तैयार करना तथा संयुक्त सचिव तथा विधायी अधिवक्ता (राजभाषा स्कंध) की सामान्य सहायता करना । **मुख्यालय** : नई दिल्ली ।

8. (रिक्ति सं0 16122308224) एक सहायक विधायी अधिवक्ता (मराठी), राजभाषा स्कंध विधायी विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय (अ.पि.व.-01) । पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात-दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बी.एल.) / एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओ.ए.) या एक पैर और एक हाथ प्रभावित (ओ.एल.ए.) या दृष्टिहीन या कमज़ोर दृष्टि यथा दृष्टिहीन (बी.) या आंशिक दृष्टिहीन (पी.बी.) के लिए उपयुक्त है । पद स्थायी है । **वेतनमान** : 15,600-39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6600/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. रू. 49,950/- लगभग) + यात्रा भत्ता तथा मकान किराया भत्ता यथा स्वीकार्य, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु*** : 43 वर्ष । **अ0 यो0 : शैक्षिक : क :** (i) कोई विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित किया गया हो, या उच्च शिक्षा संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है या किसी अन्य संस्थान या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री (एल.एल.एम.) तथा (ii) 5 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या किसी राज्य के विधि विभाग में 5 वर्षों तक किसी पद पर रहा हो या केन्द्र सरकार का ऐसा कर्मचारी हो जो विधिक कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो या कोई **अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी*** हो जिसने इस रूप में 5 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में विधि अध्यापन में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार में सांविधियों, सांविधिक नियमों

तथा आदेशों को **मराठी भाषा** में अनुवाद करने का 5 वर्ष का अनुभव रखता हो या केन्द्र या राज्य सरकार में विधियों के मसौदा लेखन में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो **अथवा <u>ख</u> :** (i) कोई विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित किया गया हो या उच्च शिक्षा संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा जिसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया हे या किसी अन्य संस्थान या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री (एल.एल.बी.) तथा (ii) 7 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या किसी राज्य के विधि विभाग में 7 वर्षों तक किसी पद पर रहा हो या केन्द्र सरकार का ऐसा कर्मचारी हो जो विधिक कार्यों में 7 वर्ष का अनुभव रखता हो या कोई **अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी*** हो जिसने इस रूप में 7 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में विधि में 7 वर्ष तक अध्यापन कार्य

किया हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार में विधियों, सांविधिक नियमों तथा आदेशों को **मराठी भाषा** में अनुवाद करने का 7 वर्ष का अनुभव रखता हो या केन्द्र या राज्य सरकार में विधियों के मसौदा लेखन में 7 वर्ष का अनुभव रखता हो । (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से सैकेंडरी स्कूल परीक्षा या कोई अन्य उच्च परीक्षा **मराठी** भाषा के माध्यम से पास की हो या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्कूल परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा में मराठी भाषा एक विषय रही हो । **<u>नोट*</u>** : **<u>*"अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी</u>**" की अभिव्यक्ति जिसका प्रयोग राजभाषा स्कंध में सहायक विधायी अधिवक्ता (क्षेत्रीय भाषाएं) के पद पर भर्ती नियमों के लिए किया गया है, से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो एक अधिवक्ता या प्लीडर हो और मास्टर डिग्री धारी (एल.एल.एम.) होने की स्थिति में इस हैसियत से 5 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो या विधि में डिग्री धारी (एल.एल.बी.) होने की स्थिति में 7 वर्ष तक इस हैसियत में प्रैक्टिस की हो । **<u>वा.यो</u>**. : (i) केन्द्र या राज्य सरकार में **मराठी भाषा** में विधायी मसौदा लेखन में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो । (ii) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या

राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान जिसे केन्द्र सरकार के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या किसी अन्य संस्थान या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो से, स्नातक डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर **मराठी भाषा** एक विषय के रूप में रही हो या मराठी भाषा के माध्यम से स्नातक डिग्री प्राप्त की हो । **कार्य** : केन्द्रीय विधियों, सांविधिक नियमों तथा नियमावलियों आदि का मराठी भाषा में अधिकृत अनुवाद तैयार करना तथा संयुक्त सचिव तथा विधायी अधिवक्ता (राजभाषा स्कंध) की सामान्य सहायता करना । **मुख्यालय** : नई दिल्ली ।

9. (रिक्ति सं0 16122309624) एक सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल), प्रकाशपोत प्रकाशस्तंभ महानिदेशालय, पोत परिवहन मंत्रालय (अनारक्षित-01) । पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यथा एक पैर प्रभावित (दायां या बांया) (ओ.एल.) के लिए उपयुक्त है । पद स्थायी है । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 5400/- रू. (ग्रेड वेतन) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500/-) सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु*** : 35 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष* (*इंजीनियर्स संस्थान (भारत) का खण्ड “क” तथा “ख”) । **ख : अनुभव** : ढांचागत तथा सुदृढ़ कंक्रीट कार्यों के डिजाईन, निर्माण तथा अनुरक्षण में पर्यवेक्षीय हैसियत में दो वर्ष का अनुभव । **वा.यो**. : सामान्य प्रशासन, प्रकाशपोत तथा समुद्री नौवहन की अन्य सामग्रियों के अनुरक्षण तथा प्रचालन में अनुभव । **कार्य** : प्रकाश स्तंभ तथा अन्य नौवहन सहायक सामग्रियों के निर्माण, सुधार तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करना । **मुख्यालय** : नोएडा (उ.प्र.) अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारतीय तट के साथ-साथ भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

10. (रिक्ति सं0 16122310624) तीन सहायक कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स), प्रकाशपोत प्रकाशस्तंभ महानिदेशालय, पोत परिवहन मंत्रालय (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01 तथा अनारक्षित-01) । तीन पदों में से एक पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यथा एक पैर प्रभावित (दायां या बांया) (ओ.एल.) के लिए आरक्षित है । ये पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यथा एक पैर प्रभावित (दायां या बांया) (ओ.एल.) या आंशिक बधिर (पी.डी.) के लिए उपयुक्त है । पद स्थायी है । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 5400/- रू. (ग्रेड वेतन) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500/-) + सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु*** : 35 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दूर संचार / इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी / इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष* (*आई ई टी ई इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूर संचार इंजीनियर्स संस्थान) या इंजीनियर्स संस्थान (भारत) का खण्ड “क” तथा “ख”) । **ख : अनुभव** : नौवहन के क्षेत्र में रेडियो साहयक सामग्री के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय हैसियत में दो वर्ष का अनुभव । **वा.यो**. : छोटी मोटर की लाइटिंग तथा वायरिंग सहित विद्युत उत्पादन, आपूर्ति तथा पारेषण में दो वर्ष का अनुभव । **कार्य** : उपकरणों तथा नौवहन सहायक सामग्रियों के अधिष्ठापन, सुधार तथा अनुरक्षण में सहयोग देना । **मुख्यालय** : नोएडा (उ.प्र.) अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारतीय तट के साथ-साथ भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

11. (रिक्ति सं0 16122311624) एक कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक-सह-सहायक महानिदेशक (तकनीकी), पोत परिवहन महानिदेशालय, मुंबई, पोत परिवहन मंत्रालय (अनारक्षित-01) । पद स्थायी है । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 6600/- रू. (ग्रेड वेतन) संशोधन-पूर्व । सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 एवं सेल-1 (56100-/-) । सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु*** : 40 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला में डिग्री । **ख : अनुभव** : डिग्री पाठयक्रम के बाद पोतों के डिजाईन, निर्माण,

सर्वेक्षण, पोत भवन या पोत मरम्मत यार्ड में लाए गए पोतों की मरम्मत या किसी डिजाईन या सर्वेक्षण संगठन में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **कार्य** : पोतों का सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करना, जहाज की किस्म, डिजाईन, स्थिरता सामर्थ्य तथा उपविभाजन आदि विवरण सहित हल का निरीक्षण करना । यात्री के ठहरने के स्थान का मापन करना । लोड लाईनों का सर्वेक्षण करना, निर्माण के दौरान एल.एस.ए. का आंशिक सर्वेक्षण करना तथा एम.एस. अधिनियम, 1956 तथा उसके नियमों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अन्य कार्य करना । **मुख्यालय** : पोत महानिदेशालय, मुंबई, किंतु भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

12. (रिक्ति सं0 16122312624) एक रेडियो निरीक्षक, पोत महानिदेशालय, मुंबई, पोत परिवहन मंत्रालय (अ.जा.-01) । पद अ.जा. के लिए आरक्षित है । पद स्थायी है । **वेतनमान** : 15,600-39,100 (वेतन बैंड-3) + 5400/- रू. (ग्रेड वेतन) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 एवं सेल-1 (56100/-) संशोधित वेतन सातवें केन्द्रीय वेतन पर आधारित । सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु*** : 50 वर्ष । **अ. यो. : (क) : शैक्षिक** : सामान्य श्रेणी या प्रथम श्रेणी रेडियो आपरेटर के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र । **ख : अनुभव** : पोत आधारित या तट आधारित वायलेस केन्द्र के संचालन, अनुरक्षण तथा समायोजन में तीन वर्ष का अनुभव अथवा (i) द्वितीय श्रेणी रेडियो आपरेटर के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र । (ii) पोत आधारित या तट आधारित वायरलेस केन्द्र के संचालन, रखरखाव तथा समायोजन में 5 वर्ष का अनुभव । **वा.यो.** : (i) दूरसंचार इंजीनियरी में डिग्री । (ii) नौवहन में इलेक्ट्रॉनिक्स सहायक सामग्रियों के प्रचालन, अनुरक्षण, समायोजन में अनुभव । **कार्य** : आई.एम.एस. रेडियो अधिनियम, 1956, एम.एस. अधिनियम 1958 की धारा 10 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रेडियो अधिष्ठापन तथा अन्य अपेक्षाओं का निरीक्षण करना जिसमें इसके साथ-साथ वाणिज्यिक पोत पर स्थापित समस्त वायरलेस उपकरणों का निरीक्षण तथा सर्वेक्षण शामिल है चाहे वह पोत किसी भी राष्ट्र से संबंधित हो ताकि निम्नलिखित सुनिश्चित की जा सके (i) कि लगाया गया उपकरण अपने आप में राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार

है । (ii) कि उपकरण भली भांति लगाया गया है, अनुरक्षित है, जहां इसकी कमियों अनुरक्षण, नियमों की अपेक्षाओं के बारे में अनुशंसा किया जाना अपेक्षित है तथा (iii) कि अनुरक्षण का मानक ऐसा है जो आगामी 12 महीनों की अवधि के लिए पर्याप्त सेवा देने योग्य है । **<u>मुख्यालय</u>** : पोत महानिदेशालय, मुंबई, किंतु भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

13. (रिक्ति सं0 16122313524) तीन प्रोफेसर (तकनीकी) (इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार इंजीनियरी), अंबेडकर उन्नत संचार प्रौद्योगिकी तथा शोध संस्थान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अनारक्षित-03) । पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यथा एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त है । पद अस्थयी है किन्तु अनिश्चित काल तक चलते रहने की संभावना है । **वेतनमान** : 37,400-67,000/- (वेतन बैंड-4) + 10000/- रू. (शैक्षणिक ग्रेड वेतन) (कु. प. रू. 1,06,650/- लगभग) + यात्रा भत्ता तथा मकान किराया भत्ता यथा स्वीकार्य, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु*** : 50 वर्ष । **<u>अ0यो0 : (क) : शैक्षिकः</u>** इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार इंजीनियरी में बी.ई. / बी.टेक. तथा एम.ई./एम.टेक. और इनमें से बी.ई. / बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. स्तर पर प्रथम श्रेणी या समकक्ष तथा समुचित विषय में पीएच.डी. या समकक्ष । **<u>ख : अनुभव</u>** : अध्यापन या अनुसंधान या उद्योग के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव एसोशिएट प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए **अथवा** अध्यापन तथा/या अनुसंधान तथा/या उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव । शोध अनुभव के मामले में, अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तकों / शोध पत्रों का प्रकाशन / आई पी आर / पेटेंट रिकार्ड की अपेक्षा होगी जैसाकि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य समुचित समझेंगे । यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है तो यह एसोशिएट प्रोफेसर के समकक्ष प्रबंधन स्तर पर होना चाहिए जिसमें तकनीकी पुस्तकों, शोध पत्रों के प्रकाशन / आई पी आर / पेटेंट आदि का अभिकल्पन / डिजाइन / योजना बनाने, निष्पादित करने, विश्लेषण करने, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण में सक्रिय

योगदान किया हो जैसाकि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य समुचित समझते हों । **नोट- 1** : निम्नलिखित क्षेत्र में विशेषज्ञता (एम.ई./एम.टेक./ पीएच.डी.), (i) संचार इंजीनियरी, डिजीटल संचार, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार (ii) सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डिजीटल सिग्नल प्रोसेसिंग (iii) माइक्रोवेव इंजीनियरी, रडार तथा संचार, आर एफ तथा माइक्रोवेव (iv) माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स, वी एल एस आई, एम्बेडिड प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी । **नोट- 2** : यदि किसी शिक्षा प्रणाली में श्रेणी या डिवीजन प्रदान नहीं की जाती है, तो कुल मिलाकर न्यूनतम 60 % अंकों को प्रथम श्रेणी या डिवीजन के समकक्ष समझा जाएगा । यदि ग्रेड प्वांइट प्रणाली अपनाई जाती है, तो संयुक्त ग्रेड प्वांइट औसत को निम्नलिखित समकक्ष अंकों में परिवर्तित कर दिया जाएगा :-

ग्रेड प्वांइट	**अंकों की प्रतिशतता %**
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

नोट- 3 : पीएच.डी. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो । **नोट- 4** : पीएच.डी. के लिए समकक्षता पांच अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित होगी, प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभाव सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए जिसमें पद धारक को प्रमुख लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए । **नोट- 5** : पदधारी सहायक प्रोफेसर के लिए सहायक प्रोफेसर के पद के अनुभव को एसोशिएट प्रोफेसर के पद के अनुभव के समकक्ष होने के बारे में विचार किया जाएगा बशर्ते पदधारक सहायक प्रोफेसर ने संगत विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त कर ली हो या प्रक्रियारत हो । **नोट- 6** : डिप्लोमा संस्थान के अनुभव को डिग्री स्तर के संस्थान में समुचित स्तर पर प्राप्त अनुभव के बराबर, जैसा लागू हो, समझा जाएगा । तथापि ऊपर दर्शाई गई योग्यता अनिवार्य होंगी । **वा.यो**. : शोधेत्तर प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रोंका मार्ग दर्शन करना । **कार्य** : अध्यापन / शोध / परियोजनाओं में सलाह देना तथा अवर स्नातक / स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों का मार्गदर्शन करना, प्रयोगशाला को विकसित करना और उन्नयन करना । तकनीकी सम्मेलनों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करना । विश्वविद्यालय की संबद्धता संबंधी कार्य करना

तथा संस्थान के विकास से संबंधित नवीनतम पाठयसह क्रियाकलापों में प्रिंसिपल का सहयोग देना तथा संबद्ध कार्य करना । **मुख्यालय** : अंबेडकर उन्नत संचार प्रौद्योगिकी तथा संचार संस्थान, दिल्ली ।

महत्वपूर्ण
ओ.आर.ए. वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 12.01.2017 को 23.59 बजे तक है ।
पूर्ण रूप से भर कर ऑन लाइन जमा किए गए ओ.आर.ए. आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेने की अंतिम तारीख 13.01.2017 को 23.59 बजे तक है ।
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारण करने की अंतिम तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र **(ओ.आर.ए.)** जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के साथ कम्प्यूटर आधारित लघु सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।
साक्षात्कार की तारीख जिस दिन लघु सूची में शामिल उम्मीदवारों को अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ-साथ अन्य दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करने के लिए लाने हैं, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी ।

टिप्पणी :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को **न** लिखें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले नीचे प्रकाशित पदों के विवरण, अनुदेशों तथा वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

ख) मद सं **4*, 8* तथा 12*** (*अ.पि.व. तथा अ.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित क्रमश: 01, 01 तथा 01 पद) के सामने दर्शाई गई आयु सीमा अ.पि.व. तथा अ.जा. के उम्मीदवारों के लिए शिथिलनीय आयु सीमा है । *सभी मदों के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के मामले में 3 वर्ष की छूट है । अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी जो

रियायत है, उसके लिए आवेदक कृपया आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित "चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें ।

(ग) उम्मीदवार को सामुदायिक आरक्षण के लाभ का पात्र केवल तभी माना जाएगा यदि उम्मीदवार जिस जाति से संबंधित है उसे केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो । यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में अपनी श्रेणी को बदलने का अनुरोध करता/करती है तो ऐसे अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) अथवा अशक्त उम्मीदवार जैसाकि रिक्तियों के विवरण में विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाया गया है, उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं लेकिन उपयुक्त समझे गए हैं । तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा । कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने का पात्र माना जाएगा, जैसाकि नियमों के अंतर्गत अनुमेय है । अत: शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अशक्तता की डिग्री 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होगीं जब शारीरिक अशक्तता की डिग्री 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों ।

(iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित उपर्युक्त मद (मदों) **1, 2, 3 तथा 4** में दर्शाई गए चिकित्सा संबंधी पदों के संबंध में अक्षमता / अक्षमताओं वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए उपयुक्त पदों हेतु अक्षमता / अक्षमताओं का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत और अधिकतम 70 प्रतिशत परिभाषित किया गया है ।

(ड़) **मुख्यालय** : कुछेक पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित निर्दिष्ट स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

(च) **परिवीक्षा** : चुने गए व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।